(B)

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र**०,** ग्वालियर

क्रामक गण्डम

R605/12/06

हारा साथ विक 2613104 - वर्ग वर्ग

1२००६ निगरानी

- (१) विजय सिंह पुत्र जयसिंह राव
- (२) रामचन्द्र पुत्र उदय सिंह्साव नाती -(क्राण्ड-सन्स) अमृतराव पुत्र सम्भावीराव मराठा, दोनों निवासी पुणों (महाराष्ट्र) व्दारा- मुख्ल्यार आम म्हज्यसिंह पुत्र जयसिंह्साव हैंगले, निवासी फिजीक्ल रोड, शिवपुरी, जिल्ला शिवपुरी।

---- वावेदकगण

बिरु ध्द

बृजमोहन पुत्र राजाराम किरार, निवासी बाससेही परगना व जिला शिवपुरी।

7818106

---- अनावेदक निगरानी किरु ध्व आज्ञा अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तारीख २३-१-२००६ अन्तर्गत धारा ५० मू-राजस्व संहिता, प्रकरण अमाक ३०।६६-२००० अपील, वजन्वान विजयसिंह बनाम वृजमोहन ।

माननीय महीदय,

निगरानी आवेदकगणा निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को सही प्रकार से नहीं समभा और आदेश अधीनस्थ न्यायालय स्पीकिंग आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण न्याय पाने से दीचत एरहे है।
- ३- यह कि, अनावेदक ने अमृतराव् मृतकभूमि स्वामी निवासी पुणी.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 605-दो/06

जिला–शिवपुरी

31 अवेदकगण के अभिभाषक श्री ए०के० अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।  2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र०क्र० 30/1999—00/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।  3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा	एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रवक्रव 30/1999-00/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध मवप्रव भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।	
2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रoक्रo 30/1999—00/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध म0प्रo भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
संभाग, ग्वालियर के प्रवक्र0 30 / 1999-00 / अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	
3/ प्रकरण सन्तय म इस प्रकार है। पर जनायस्वर धारा	. "
तहसील न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर	
वादग्रस्त भूमि सर्वे नं० किता ४ रकबा 1.50 है0 पर 15	
वर्ष पूर्व 20, 000 / - रुपये भुगतान पर भूमि पट्टे पर	
प्राप्त करने के आधार पर संहिता की धारा 190 / 110 के	
अंतर्गत नामांतरण की मांग की गई। तहसील न्यायालय	
द्वारा अपने प्रवक्र0 8/97-98/अ46 में पारित आदेश	
दिनांक 30.05.98 के द्वारा आदेश पारित किया गया ।	
इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय	
अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय	
अधिकारी, शिवपुरी ने प्र0क्र0 19/1998—99/अपील में	
पारित आदेश दिनांक 11.06.99 द्वारा अपील अस्वीकार	
किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर	

आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश किया गया । जहां प्रकरण क्रमांक 30/1999-00/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 द्वारा अस्वीकार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा फर्जी कार्यवाही करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमिस्वामी अमृतराव का देहांत 1967 में हो चुका था, जबिक मृतक के विरुद्ध अनावेदक ने वर्ष 1998 में नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकगण मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारी है और 1966 में उन्हें वसीयत के द्वारा उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया है। अधीनस्थ अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा अपने हक में संपादित वसीयत वर्ष 1966 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी,

L

N

शिवपुरी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं यह तथ्य भी उल्लेखित किाय कि भूमिरवामी का देहांत वर्ष 1967 में हो चुका था। वसीयत की छायाप्रति जो अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसमें नोटरी के द्वारा 6.11.98 की मुद्रा अंकित है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि वर्ष 1998 में वसीयत की नोटरी कराई गई है। मुख्त्यारआम भी वर्ष 1998 में संपादित किया जाना प्रकट है। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत पक्षकारों को सूचना जारी किया गया, किन्तु कोई नियम दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ और तहसील न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही भूमिरवामी की अनुपस्थिति में की गई, जो अपने स्थान पर उचित है। आवेदकगण द्वारा वर्ष 1966 की वसीयत के आधार पर 33 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष आपितत प्रस्तुत की गई, जबकि इतने लंबे अवधि के विलम्ब के बारे में कोई समानधानकारण कारण भी नहीं बताया गया है। अरजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर नामांतरण का दावा वसीयतकर्ता की मृत्यु के दो वर्ष पश्चात किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। 1191 आर0एन0 135, बिल के आधार पर नामांतरण के दावे में 7 वर्ष के विलम्ब में 7 वर्ष के विलम्ब से बिल संदिग्ध हो जाता है। 1998 आर0एन0 147, उच्च न्यायालय, स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा निरंतर 33 वर्ष तक वसीयत के आधार पर कोई हक की मांग न करने कारण वसीयत स्वतः संदिग्ध है और वसीयत के आधार पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते है। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा

W

आवेदकगण की अपील को निरस्त करके उचित निर्णय लिया गया है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आवेश दिनांक 23.01.2006 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।